न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 06/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
मनोहर कंवर धर्मपत्नी अजीत सिह पुत्री सुमेर सिह जाति राजपूत निवासी पृथ्वीपुरा हाल चिताम्बा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा		1– जय सिह पुत्र सज्जन सिह जाति राजपूत निवासी पृथ्वीपुरा, तहसील जैतारण जिला पाली 2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 18–12–2017 जो तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रकरण संख्या 2/2017 अनवान जयसिह बनाम स्टेट मे पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री परमवीर सिह चंपावत अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 22–10–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील जैतारण के खसरा नंबर 109 रकबा 33.18 बीघा भूमि मे से 1/2 हिस्से की भूमि का सहखातेदार सुमेरसिह पुत्र सवाईसिह जाति राजपूत सा0 देह था । उसके द्वारा अपने जीवनकाल मे रेस्पो0 संख्या 1 जयसिह के पक्ष मे एक वसीयतनमा निष्पादित कर उसे उप पंजीयक जैतारण के कार्यालय मे दिनांक 19–3–2013 को पंजीबद्ध करवाया । उक्त सहखातेदार सुमरे सिह के फोत होने पर खसरा नंबर 109 मे उसके 1/2 हिस्से की भूमि का नामांतरकरण वसीयत के आधार पर दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 जय सिह पुत्र सज्जनसिह दत्तक पुत्र स्व0 सुमेरसिह ने तहसीलदार जैतारण के समक्ष प्रस्तुत किया तथा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ खातेदार सुमेर सिह का मृत्यु प्रमाण पत्र, रेस्पो0 संख्या 1 जय सिह के पक्ष मे निष्पादित वसीयत नामे की छायाप्रति तथा अन्य दस्तावेज मय राजस्व रेकर्ड प्रस्तुत किये । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जांच के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–12–2017 के द्वारा वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 जय सिह के पक्ष मे वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दायर करने के आदेश पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जिस दस्तावेज को आधार मानकर खसरा नंबर 109 की भूमि का नामांतरकरण रस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है, वह दस्तावेज खसरा नंबर 109 की भूमि के संदर्भ मे है ही नही तथा

वसीयत मे खसरा नंबर 109 का कही जिक्र भी नही है बल्कि नोहरे की पीछे कुआं व सामलाती पोल होने का जिक्र है इसमे 1/2 हिस्से का उल्लेख किया गया है । खसरा नंबर 109 एवं घर के बीच काफी दूरी होते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जिस वसीयतनामे के दस्तावेज को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उस दस्तावेज को सक्षम न्यायालय मे चुनौती दी हुई है तथा दिवानी वाद विचाराधीन है । इस तथ्य की जानकारी तहसीलदार को होते हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान अपीलार्थियां ने लिखित आपत्तियां भी पेश की थी परंतु उनको भी नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय जल्दबाजी मे पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत पटवारी हल्का की प्रथम रिपोर्ट मे स्पष्ट उल्लेख था कि वसीयतनामे मे भूमि के खसरा नंबर का उल्लेख नही है, इस कारण यह नही कहा जा सकता कि वसीयतनामा किस भूमि से संबंध रखता है तथा वसीयतनामे मे वर्णित भूमि पुश्तैनी है अथवा स्व अर्जित, इस बारे मे भी कोई रिपोर्ट नही दी जा सकती तथा वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिवानी न्यायालय के आदेश का बिल्कुल गलत अर्थ निकालते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब पहले रिपोर्ट आ चुकी थी तो दुबारा पटवारी हल्का ने रेस्पो0 संख्या 1 जयसिह से हल्फनामा लेकर उक्त हल्फनामा के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के खातेदार स्व0 सुमेरसिह ने वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 जयसिह के पक्ष मे एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 19–3–2013 को निष्पादित की गई थी । उक्त खातेदार सुमेरसिह के देहात के बाद उसके खातेदारी की भूमि ग्राम पृथ्वीपुरा के खसरा नंबर 109 की 16.19 बीघा भूमि का वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दायर करने का प्रार्थना पत्र रेस्पो0 संख्या 1 ने तहसीलदार जैतारण के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार जैतारण ने विधिवत जांच कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28–8–17 को वर्तमान अपीलार्थियां मनोहरकंवर ने उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की थी जिस पर उसे सुना गया तथा बाद परीक्षण के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–12–17 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जैतारण ने वसीयतकर्ता के वसीयत अनुसार अचल सम्पति मे कृषि भूमि खसरा नंबर 109 जिसे मृतक खातेदार सुमेर सिह द्वारा खरीद करना म्युटेशन संख्या 43 ग्राम पृथ्वीपुरा से जाहिर होने से उक्त भूमि को उसकी खरीदसुदा

स्वअर्जित सम्पति होना मानते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि वर्तमान अपीलाधीन भूमि के संबंध मे एक दीवानी विविध वाद प्रस्तुत हुआ था जिसमे खसरा नंबर 109 की भूमि सुमेर सिह की खरीद सुदा स्वअर्जित जायदाद मानते हुए न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख) जैतारण द्वारा पूर्व मे पारित स्थगन आदेश को दिनांक 12–6–2013 की आदेशिका से खारीज कर दिया था ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख) जैतारण मे दावा विचाराधीन है इसलिए सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से ही अधिकारो का विनिश्चयन होना है । इस अपील के जरिये अपीलांट को कोई अधिकार हासिल नही हो सकते इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि जब वसीयत को सिविल न्यायालय मे चुनोती दे रखी है तो माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित होने वाला निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात आदि का भी अवलोकन किया । ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील जैतारण के खसरा नंबर 109 रकबा 33.18 बीघा भूमि मे से 1/2 हिस्से की भूमि के सहखातेदार सुमेरसिह पुत्र सवाईसिह जाति राजपूत ने अपने जीवनकाल मे रेस्पो0 संख्या 1 जयसिह के पक्ष मे एक वसीयतनमा निष्पादित कर उसे उप पंजीयक जैतारण के कार्यालय मे दिनांक 19–3–2013 को पंजीबद्ध करवाया । उक्त सहखातेदार सुमरे सिह के फोत होने पर खसरा नंबर 109 मे मृतक खातेदार सुमेर सिह के 1/2 हिस्से की भूमि का नामांतरकरण वसीयत के आधार पर दर्ज करवाने हेतु रेस्पो0 संख्या 1 जय सिह ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जैतारण के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ खातेदार सुमेर सिह का मृत्यु प्रमाण पत्र, रेस्पो0 संख्या 1 जय सिह के पक्ष मे निष्पादित वसीयत नामे की छायाप्रति तथा अन्य दस्तावेज मय राजस्व रेकर्ड प्रस्तुत किये । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली कायम कर पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट तलब कर, मृतक खातेदार सुमेरसिह की पुत्री वर्तमान अपीलार्थियां मनोहरकंवर पुत्री स्व0 सुमेरसिह को सुना जाकर तथा अपीलाधीन भूमि के संबंध मे की गई वसीयत बाबत तथा अपीलाधीन भूमि पैतृक होने से रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे की गई वसीयत को अवैद्य एवं गैर कानूनी घोषित करवाने बाबत माननीय सिविल न्यायालय मे प्रस्तुत वाद की कार्यवाही आदि का अवलोकन एवं परीक्षण करने के पश्चात उनका विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–12–2017 को पारित किया है,जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नही पाया जाता है ।

अपीलांट का यह कथन कि रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे निष्पादित वसीयत मे ग्राम

पृथ्वीपुरा के खसरा नंबर 109 का कही उल्लेख नही होने से उक्त खसरा नंबर की भूमि का वसीयत के माफिक म्युटेशन रेस्पो0 संख्या 1 जयसिह के नाम दायर करने बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो गलत है । इस संबंध मे यह उल्लेख करना उचित होगा कि मृतक द्वारा वसीयत की गई उसके नाम की सम्पति मे उसका एक मकान आबादी ग्राम पृथ्वीपुरा मे, एक नोहरा तथा नोहरे के पीछे कुंआ एवं शामलाती पोल का उल्लेख किया हुआ है तथा कुआं तथा शामलाती पोल मे उसका 1/2 हिस्सा होने का उल्लेख किया हुआ है तथा उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण सम्पति उसकी खरीदसुदा एवं स्वअर्जित तथा बंटवाडे मे आई हुई होने का उल्लेख किया हुआ है । मृतक खातेदार सुमेरसिह द्वारा खसरा नंबर 109 की 33.18 बीघा भूमि मे से 1/2 हिस्से की भूमि पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज के जरिये दिनांक 17-3-72 को खरीद करने पर उसके पक्ष मे म्युटेशन संख्या 43 ग्राम पृथ्वीपुरा का स्वीकृत हुआ है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है, इससे यह स्पष्ट है कि उक्त अपीलाधीन भूमि मृतक खातेदार सुमेर सिह की खरीदसुदा स्वअर्जित भूमि है जिसका उल्लेख उसके द्वारा वसीयत मे कुआं के रूप मे किया है ।

वर्तमान प्रकरण मे रेकर्ड से यह स्पष्ट है कि मृतक खातेदार सुमेर सिह द्वारा की गई वसीयत को अवैद्य एवं गैर कानूनी बताते हुए तथा खसरा नंबर 109 की भूमि को पैतृक भूमि होने के विषय का एक वाद माननीय सिविल न्यायालय जैतारण मे प्रस्तुत किया हुआ है जिसमे अंतरिम निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारीज किया गया है कि खसरा नंबर 109 की भूमि विकय विलेख अनुसार सुमेर सिह की खरीदसुदा भूमि होने से उसकी स्वअर्जित जायदाद माना है । ऐसे मे जब अपीलाधीन भूमि के पैतृक या स्वअर्जित होने का तथ्य तथा वसीयत को निष्फल करार देने का तथ्य अभी माननीय सिविल न्यायालय मे पेंडिंग है, जिसमे पारित होने वाला निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा । सिविल न्यायालय मे वाद के लंबित रहते म्युटेशन अपील की समरी कार्यवाही के जरिये वसीयत की वैद्यता के बारे मे किसी प्रकार की फाईंडिंग दिया जाना न्यायोचित नही है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18-12-2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 22-10-2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(हस्ताक्षर) 22/10/18

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर